Presidential Election/Immediate
By Special Messenger/Speed Post/Camp Bag

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

सं. 481/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./पी.ई.-द्विवार्षिक/2017

तारीखः 14 जून, 2017

सेवा में

राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर और
महासचिव, लोक सभा,
संसद भवन, नई दिल्ली।

विषयः- **राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2017 - निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन की रीति।**

महोदय,

मुझे, राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 6(ख) के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्गत निदेश, दिनांक जून, 2017, जो राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन की रीति के बारे में है, की एक प्रति आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया इस पत्र की पावती दी जाए।

भवदीय,

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव

सं. 481/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./पी.ई.-द्विवार्षिक/2017 तारीखः 14 जून, 2017

पूर्व पृष्ठ पर संदर्भित निदेश की प्रति के साथ प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित:

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. सचिव भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. भारत के प्रधान मंत्री के सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मुख्यालय में सहायक रिटर्निंग आफिसर, संसद भवन, नई दिल्ली।
6. राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर (मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से)
7. सभी राज्यों के मुख्य सचिव एवं सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक।
8. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव

Presidential Election/Immediate
By Special Messenger/Speed Post/Camp Bag

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

सं. 481/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./पी.ई.-द्विवार्षिक/2017 तारीखः 14 जून, 2017

निदेश

विषयः- **राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2017- राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 6 (ख) के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन की रीति।**

राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 6 के खण्ड (ख) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह निदेश देता है कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 5 में तैयार की गई निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के अतिरिक्त निम्नलिखित में भी पुन: प्रकाशित की जाएगी :-

(क) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के शासकीय राजपत्र में ऐसी भाषा या भाषाओं में भी पुन: प्रकाशित की जाएगी जिनमें उस शासित सरकार/प्रशासन द्वारा जारी की गई सांविधिक अधिसूचनाएं ऐसे राजपत्र में प्रकाशित की जाती हैं, तथा

(ख) उसकी एक प्रति रिटर्निंग आफिसर तथा प्रत्येक सहायक रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में किसी सहज-दृश्य स्थान पर लगा कर।

आदेश से,

व. कुमार

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव